

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 199]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 17 मई 2014—वैशाख 27, शक 1936

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 17 मई 2014

क्र. 30-वि.निर्वा.-चार-2014-उपचुनाव-434.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (43 सन् 1951) की धारा 67 के उपबंधों के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विधान सभा में रिक्त पद को भरने के लिये हुए उप चुनाव के परिणाम की घोषणा, जिसमें कि निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम अन्तर्विष्ट है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है.

जयदीप गोविन्द, प्रमुख सचिव.

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप-21 घ

(नियम 64 देखिए)

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये निर्वाचन में उपयोग के लिये, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

\*..... X ..... (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) के\*..... X ..... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन.

\*144-विदिशा विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) की विधान सभा के लिए निर्वाचन.

\* ..... X ..... महानगर  
परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र से दिल्ली की महानगर परिषद् के लिए निर्वाचन.

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री कल्याण सिंह ठाकुर (नाम) ग्राम तिलक, पोस्ट ठर्र, तहसील व जिला विदिशा, पता [जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यताप्राप्त / रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गए हैं.]

उस सदन में,

श्री शिवराज सिंह चौहान ..... के पदत्याग के कारण\*  
श्री/श्रीमती ..... X ..... की मृत्यु के कारण\*  
श्री/श्रीमती ..... X ..... का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिए जाने के कारण\*  
श्री/श्रीमती ..... X ..... का स्थान रिक्त हो जाने के कारण / घोषित कर दिए जाने के कारण\*  
हुई रिक्ति के भरने के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : विदिशा

हस्ता./-

तारीख : 16 मई 2014

( मनोज कुमार वर्मा )

रिटर्निंग आफिसर

144-विदिशा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र  
जिला विदिशा, म.प्र.

\*जो समुचित न हो उसे काट दीजिए.

FORM 21 D  
(See Rule 64)

(For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested)

### Declaration of the result of Election under Section 66 of the Representation of the People Act, 1951

\*Election to the House of the people from the ..... X ..... Parliamentary constituency in ..... X ..... (State / Union territory).

..... \*Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh (State / Union territory) from 144-Vidisha Assembly constituency.

..... X ..... \*Election to the Metropolitan Council of Delhi from ..... X ..... Metropolitan Council Constituency.

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the conduct of Elections Rules, 1961, I, declare that KALYAN SINGH THAKUR (Name) Village-TILAK, Post-THARR, Teh. & Distt. VIDISHA (Address) Sponsored by Bharatiya Janata Party (Name of the recognized/registered political party) has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the

\*resignation of **Shri Shivraj Singh Chouhan** . . . . .

\*death of . . . . . X . . . . .

\*election of . . . . . X . . . . . having been declared void . . . . . X . . . . . having become.

\*seat of . . . . . X . . . . . vacant.

having been declared.

Place : VIDISHA

Sd./-

Date : 16th May 2014

(MANOJ KUMAR VERMA)  
Returning Officer,  
144-Vidisha Legislative Assembly  
Distt. Vidisha, M.P.

\*Score out, if inappropriate.